कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0

प्रार्थी :- सर्वश्री मेटल एलाय ,ई-46 ,इण्डस्ट्रियल एरिया राम नगर ,चन्दौली ,वाराणसी।

प्रार्थना पत्र सं0 :- 33/08

प्रार्थी की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री मेटल एलाय ,ई-46 ,इण्डस्ट्रियल एरिया राम नगर ,चन्दौली,वाराणसी व्यापारी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 04-2-08 में पुरानी बैटरी स्क्रैप पर कर की देयता की जानकारी चाही गयी है ।

2- मुख्यालय के पत्र संख्या 712 दिनांक 4-2-08 से व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, वाराणसी जोन, वाराणसी से आख्या मांगी गयी ।एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, वाराणसी जोन, वाराणसी से आख्या मांगी गयी पत्र संख्या - 5007 दिनांक 23-02-08 से प्राप्त हुई है। प्रेषित आख्या के अनुसार पुरानी बैटरी स्क्रैप वैट अधिनियम 2008 की अनुसूची-1,2,3 व 4 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है ,अतःअनुसूची-5 के अनुसार इन पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नियत तिथि 13-3-08 पर प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्राप्त हुआ ,अतः धारा-59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक-पक्षीय रुप से किया जा रहा है।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र का विधिवत परिशीलन किया तथा एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1)वाणिज्य कर,वाराणसी जोन,वाराणसी से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वैट अधिनियम -2008 तथा शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-570-ए/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(8)-2008/दिनांक 4-3-2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति अनुसूची-2-भाग-क के क्रमांक-51 पर अंकित प्रविष्टि निम्न प्रकार है:-

क्रमांक-51--- पुराना ,व्यर्थ ,अनुपयोगी ,बेकार मशीनरी ,स्टोर्स एण्ड व्हैकिल्स,उच्छिष्ठ उत्पाद सहित

इस प्रकार पुरानी बैटरी स्क्रैप पर उक्त प्रविष्टि के क्रमांक -51 के अन्तर्गत 4% की दर से कर देयता होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 17 ,मार्च, 2008

ह0/ 17-03-2008

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ